मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 34 / 2017

सतनाम सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री निहालसिंह, जाति कुम्हार सिख, साकिन चक बड़ोपल बरानी खसरा न.1 237 में खेत में बनी ढाणी वार्ड न.5 बडोपल, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री भानीराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा खालसा, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

निर्णय

दिनांक :–30-12-24

वादी की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादी का प्रश्नगत रकबा खसरा संख्या 1237, 1238 में अलग अलग खसरा में दर्ज है। है एवं उनके मध्य केवल सिमांकन का विवाद है जबकि उभय पक्ष अपनी–अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इस लिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-12-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:34 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा